सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ईं-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 185/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-25.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 25.05.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना- कोतवाली: अपहरण व जबरन वसुली करने के अभियोग में वांछित एक अभियुक्ता गिरफ्तार, पूर्व में एक अभियुक्त हो चुका है गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

अवगत कराना है कि वादी अमन सिंह पुत्र अवनीश कुमार सिंह निवासी मकान नं0-166 मोहल्ला आराजी बाग, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ बदरियाफ्त बता रहे हैं कि अरविन्द कुमार सिंह उर्फ बब्बू पुत्र स्व बलदेव सिंह निवासी ग्राम विजौरा, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ स्वयं को प्रापर्टी डिलर बताते हुए रनवीर सिंह पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम हीरापट्टी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ के माध्यम से प्रार्थी के सम्पर्क में लगभग तीन वर्ष पूर्व आये तथा जाफरपुर स्थित जमीन दिखवाया गया जिसके कारण उनका प्रार्थी के घर उपरोक्त के सिलसिले में आना-जाना होने लगा। इसी बीच प्रार्थी को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गयी तो अरविन्द सिंह से प्रार्थी द्वारा तीन दिन के लिए तीन लाख रूपये ले लिया गया। कुछ मजबूरी के चलते तीन दिन के अन्दर पैसे का भुगतान नहीं कर पाया तो उपरोक्त अरविन्द सिंह द्वारा 10,000 रू प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज माँगना शुरू कर दिया गया। प्रार्थी मजबूर होकर अपनी माँ संगीता सिंह से सारी बात बतायी तो उनके द्वारा अरविन्द सिंह के खाते में अपने खाते से पाँच लाख रूपया दिनांक 18.11.2023 को अदा कर दिया गया। कुछ दिनों बाद पुनः अरविन्द सिंह, रनविजय सिंह, निगम सिंह द्वारा प्रापर्टी डिलींग मे पैसा लगाने हेतु प्रार्थी को पुनः अपने विश्वास मे लिया गया। प्रार्थी उनकी बातों पर विश्वास कर प्रापर्टी डिलिंग मे साझेदारी में लेते हुए भिन्न-भिन्न तारीखों पर जरिये खाता व नकद कुल मिलाकर 22,05,800 रू0 उपरोक्त अरविन्द सिंह, रनवीर सिंह व उनके सहयोगी निगम सिंह तथा उनके परिजनों के के खाते में ले लिया गया। बीच-बीच मे कुछ पैसा उपरोक्त अरविन्द सिह द्वारा प्रार्थी को वापस भी किया गया। दिनांक 05.05.2024 को प्रार्थी के घर छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। जिसमें उपरोक्त रनवीर सिह व अरविन्द सिंह व रनवीर सिंह भी आये थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के घर रखा हुआ बैग गायब हो गया। जिसमें प्रार्थी का हस्ताक्षर किया हुआ चेकबुक, आधार कार्ड व एटीएम रखा हुआ था। उक्त बैग गायब होने के पश्चात रनवीर सिंह अरविन्द सिंह निगम सिंह प्रार्थी द्वारा दिये गये पैसे को वापस न करने की नियत से साजिश करके प्रार्थी को अपने 10-15 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर शहर मे स्थित अठवरिया मैदान में बुलाकर जान से मारने का भय दिखाकर अपहृत कर एक कमरे में बन्द कर प्रार्थी को भय में डालकर जबरदस्ती और धनउगाही करने की नियत से उपरोक्त गायब हुये बैग में रखे चेकबुक साइन किये हुए चेक सं0- 95072 पर 4,00000 रु भरवाकर प्रार्थी का जबरदस्ती वीडियो बना लिये तथा धमकी दिये कि यदि किसी से कहोगे और थाने पर जाओगे तो तुम्हे जान से मार दिया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध **में मु0अ0सं0 37/25 धारा 34,342,386 भादवि** दिनांक 26.1.2025 को पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त अरविन्द कुमार सिंह उर्फ बब्बू सिंह पुत्र स्व0 बलदेव सिंह निवासी ग्राम बिजौरा थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 60 वर्ष पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 25.5.25 **को नि0अ0 रफी आलम, उ0नि0 यश सिंह पटेल**, म0कां0 रुकमणी सिंह थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **वांछित अभियुक्ता सविता सिंह पत्नी अरविन्द सिंह उर्फ बब्बू सिंह हाल पता जयप्रकाश श्रीवास्तव का किराये का मकान ग्राम अजमतपुर कोडर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 60 वर्ष मूल निवासी ग्राम बिजौरा थाना कंधरापुर आजमगढ़, ग्राम लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़** को समय 11.40 बजे ग्राम अजमतपुर कोडर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 37/25 धारा 34,342,386 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1- सविता सिंह पत्नी अरविन्द सिंह उर्फ बब्बू सिंह हाल पता जयप्रकाश श्रीवास्तव का किराये का मकान ग्राम अजमतपुर कोडर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 60 वर्ष मूल निवासी ग्राम बिजौरा थाना कंधरापुर आजमगढ़, ग्राम लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

02.थाना रानी की सराय: नौकरी के नाम पर धोखाधडी कर पैसा लेने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 29.12.2023 को वादी आकाश सोनकर पुत्र महेन्द्र सोनकर नि0 सेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया कि अभियुक्त महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव आदि के द्वारा रेलवे विभाग मे नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख रुपये लेने व फर्जी व कुटरचित ज्वाईनिंग लेटर देना तथा पैसा वापस मागने पर न देना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे था । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0स0 416/2023 धारा 406,420,467,468,471,504 ,506,120 बी भादवि** बनाम 1.महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र कृष्ण मुरारी लाल 2.रुचि श्रीवास्तव पत्नी महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 3.रितु श्रीवास्तव पुत्री महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव निवासीगण मकान नं. 286 पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली जिला प्रतापगढ पंजीकृत हुआ । जिसकी विवेचना उ0नि0 हैदर अली मंसूरी द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 25.05.2025 **को उ0नि0 हैदर अली मंसूरी मय हमराह** द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त/अभियक्ता **1.महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र कृष्ण मुरारी लाल 2.रुचि श्रीवास्तव पत्नी महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव** निवासीगण मकान नं. 286 पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली जिला प्रतापगढ को समय करीब 11.20 बजे कोटिला से गिरफ्तार किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

01.महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र कृष्ण मुरारी लाल

2.रुचि श्रीवास्तव पत्नी महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव निवासीगण मकान नं. 286 पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली जिला प्रतापगढ

पंजीकृत अभियोगः-

मु.अ.स. 416/2023 धारा धारा 406,420,467,468,471,504,506,120बी भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

03. थाना- कन्धरापुरः चोरी गये मोटरसाइकिल, सामान, अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का विवरण –

आज दिनांक 25.05.25 को उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह उ0नि0 अमित कुमार पाल, उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह, को सूचना मिली कि मधुबन गाँव के पास से जो मोटर साईकिल चोरी हुई थी वह मोटर साईकिल के साथ एक व्यक्ति पूर्वांचल मड़्या अण्डर पास के नीचे कुछ सामान मोटर साईकिल पर रखकर उसी पर बैठा हुआ है, और किसी का इन्तजार कर रहा है, इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घेर कर समय 04.24 बजे चोरी गये सामान व अवैध असलहा व कारतूस के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- सत्यम यादव पुत्र त्रिभुवन यादव सा0 टण्डवा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण –

1 . एक अदद चोरी की मो0सा0 (मोटर साईकिल) स्पेलेण्डर प्लस सम्बन्धित मु0अ0स0 153/25 धारा 303(2), 317(2) BNS थाना कन्धरापुर आजमगढ।

2. चोरी के एक मोटर पम्प मय 02 मीटर केविल तार के, एक अदद सिलिंग फैन विना ब्लेड के, वोल्टेज स्टैपलाईजर आटोमैटिक सम्बन्धित मु0अ0स0 89/2025 धारा 331(4)/305/317(2) BNS थाना कन्धरापुर

3. एक अदद तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज व जामा तलासी से बरामद 200/-रू0 सम्बन्धित मु0अ0सं0 154/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट. थाना कन्धरापुर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 154/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 89/25 धारा 331(4)/305/317(2) BNS थाना कन्धरापुर।
2. मु0अ0स0 153/25 धारा 303(2), 317(2) BNS थाना कन्धरापुर।
3. मु0अ0सं0 154/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर।

04.थाना- मेंहनगरः अवैध असलहा व कारतूस के साथ 01 शातिर अपराधी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2025 को **उ0नि0प्र0 अक्षय प्रताप सिंह** मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान राजघरपुर से गहुनी की तरफ रोड के पास एक व्यक्ति संदीप पुत्र सचिनू निवासी वार्ड नं0 3 संतकबीर नगर कस्बा मेहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा 315 बोर, व एक एदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 9.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया, पकडे गये व्यक्ति का कृत्य धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 252/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-संदीप पुत्र सचिनू निवासी वार्ड नं0 3 संतकबीर नगर कस्बा मेहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

1-एक अदद तमंचा 315 बोर, व एक एदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 252/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 363/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़
2.मु0अ0सं0 309/22 धारा 401 भादवि थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़
3.मु0अ0सं0 227/25 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़
4.मु0अ0सं0 252/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

05.थाना गम्भीरपुरः किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.03.2025 वादी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना गम्भीरपुर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 22.05.2025 को वादी की भतीजी उम्र 14 वर्ष समय शाम 08 बजे शौच जाते समय अभियुक्त नेहाल पुत्र मुश्ताक निवासी फैजुल्लाहपुर थाना गाम्भिरपुर जनपद आजमगढ द्वारा मुंह दबाकर पोखरी की तरफ चकरोड पर ले जाकर दुष्कर्म किया गया व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बंध में थाना गम्भीरपुर पर मु.अ.सं. 146/2025 धारा 65(1),351(3) BNS,3/4(2) पास्को एक्ट बनाम नेहाल पुत्र मुश्ताक निवासी ग्राम फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 25.05.2025 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त नेहाल पुत्र मुश्ताक निवासी फैजुल्लाहपुर थाना गाम्भिरपुर जनपद आजमगढ को समय 08.30 बजे फैजुल्लापुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1-नेहाल पुत्र मुश्ताक निवासी फैजुल्लाहपुर थाना गाम्भिरपुर जनपद आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग

1. मु.अ.सं. 146/2025 धारा 65(1),351(3) BNS,3/4(2) पास्को एक्ट थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।

06.थाना- फूलपुरः 10 वर्षीय की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 24.05.2025 को वादिनी मुकदमा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ विवाह में शामिल होने के लिये अपने मायका गयी थी कि विवाह मे व्यस्त होने के दौरान दिनांक 24.05.2025 को समय रात्रि करीब 1 बजे विपक्षी सुनील निषाद पुत्र बहाऊ निषाद सा0 शेरवां बुढ़नपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष द्वारा वादिनी की पुत्री को 10, 20 रुपये देकर बहला-फूसलाकर घर के बगल बाजरे के खेत मे ले जाकर दुष्कर्म किया गया, के सम्बन्ध मे थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ पर **मु0अ0सं0--263/2025 धारा 137(2)/65(2) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट** बनाम सुनील निषाद पुत्र बहाऊ निषाद सा0 शेरवां बुढ़नपुर थाना अतरौलिया जनपद के पंजीकृत है। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 24.05.2025 को **थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द थाना फूलपुर** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त सुनील निषाद पुत्र बहाऊ निषाद सा0 शेरवां बुढ़नपुर थाना अतरौलिया जनपद उम्र करीब 33 वर्ष** को लोनियाडीह गेट के पास से समय करीब 22.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. अभियुक्त सुनील निषाद पुत्र बहाऊ निषाद सा0 शेरवां बुढ़नपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 263/25 धारा 137(2)/65(2) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़